ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-3* June- 2021
Anthology : The Research

दलित के लिए संवैधानिक प्रावधान

Constitutional Provisions for Dalits

Paper Submission: 15/06/2021, Date of Acceptance: 25/06/2021, Date of Publication: 26/06/2021

लाला राम मीना
सह आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
स्व.प.न.कि.श.राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दौसा, राजस्थान, भारत

सारांश

15 अगस्त सन् 1947 को हमारे देष के ऊपर से गुलामी का कोहरा छटा तो कमजोर वर्गो को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बहुमुखी प्रयास किये गये इन प्रयासों का मूल स्त्रोत संविधान है क्योंकि सामाजिक न्याय के आधार पर एक नये समाज की रचना को संविधान का मूल लक्ष्य निरूपित किया गया है। इस उद्देष्य की प्राप्ति के लिए संविधान जहाँ एक ओर सभी नागरिकों, चाहे वे सषक्त या कमजोर हों, को स्वतन्त्रता तथा अवसर की समता एवं विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है वहीं कमजोर वर्गो को कई बातों में प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देष्य से कुछ विषेष उपबन्धों का प्रावधान भी करता है।

भारत में दलित वर्गा को सामाजिक न्याय सुलभ कराने उद्देष्य से व्यापक उपाय किये है । इन सभी उपायों का प्रावधान संवैधानिक दायरे के अन्तर्गत है जो उदारपूर्ण है। संविधान में एक तो कमजोर वर्गो की जो भी परम्परात्मक निर्योग्यताएँ थीं उन्हें दूर किया गया है तथा इन्हें आरक्षण व संरक्षण जैसी सुविधायें प्रदान करने के लिए विषेष उपबन्धों का प्रावधान किया गया है। दूसरे, इन्हें शोषण व उत्पीडंन से बचाने के लिए आवष्यक रक्षोपायों की व्यवस्था के अतिरिक्त उपयोगी विधानों के निर्माण का प्रावधान किया गया है तथा तीसरे, उनके शैक्षिक व आर्थिक विकास के लिए विविध योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य को स्पष्ट रूप से निर्देषित किया गया है।

On August 15, 1947, when the fog of slavery lifted over our country, the multifaceted efforts were made to provide social justice to the weaker sections, the basic source of these efforts is the constitution, because the basic goal of the constitution is to create a new society on the basis of social justice. has been denoted. In order to achieve this objective, while on the one hand the Constitution provides liberty and equality of opportunity and equality before the law to all citizens, whether they are strong or weak, on the other hand some special provisions have been made for the purpose of giving priority to the weaker sections in many things. In India, comprehensive measures have been taken with the aim of providing social justice to the downtrodden class. The provision of all these measures is within the constitutional scope which is liberal. In the Constitution, the traditional disabilities of the weaker sections have been removed and special provisions have been made to provide them facilities like reservation and protection. Second, to protect them from exploitation and oppression, in addition to the provision of necessary safeguards, provision has been made for the creation of useful legislations and thirdly, for their educational and economic development, the state has been clearly directed to implement various schemes and programs.

मुख्य शब्द : संवैधानिक प्रावधानेा, धार्मिक निर्योग्यताओं, अस्पृष्यता, असमर्थता, संक्रमण, अनुसूचित जातियों और जनजाति, भेदभाव, एकाधिकार, शोषण, बेगार, दलित, असमानता, भेदभाव।

Constitutional Provisions, Religious Disabilities, Untouchability, Disability, Infection, Scheduled Castes And Tribes, Discrimination, Monopoly, Exploitation, Forced Labor, Dalit, Inequality, Discrimination.

प्रस्तावना

संवैधानिक प्रावधानें में यह व्यवस्था की गई कि सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो की दषा सुधारी जायेगी। अनुच्छेद 46 में उल्लेख किया गया है कि राज्य, कमजोर वर्गो, विषेषतः अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक हितों को खास तौर पर प्रोत्साहन देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व समस्त प्रकार के सामाजिक शोषण के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करेगा। इन्हीं आंकाक्षाओं के अन्तर्गत संविधान ने राष्ट्रपति पर यह विषेष दायित्व आरोपित किया है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों सहित, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो के हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 16 (4) के मूल प्रारूप में नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की बात रखी गई थी परन्तु अम्बेडकर ने इनके साथ पिछडा शब्द जोड दिया ताकि आरक्षण शर्त और दषा कुछ स्पष्ट हो सके। बाद में संविधान सभा के बाद विवादों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि नागरिकों के पिछड़े वर्गो से आषय मुख्यतः उन जातियों और जनजातियों से था जो प्रत्येक राज्य में जातियों की स्थिति के आधार पर दो अनुसूचियों में श्रेणीबद्ध थी और संविधान के 341 व 342 के अन्तर्गत उद्घोषत थी। तभी से पिछडी जातियों अथवा निम्न जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाने लगा तथा संविधान संरक्षण और आरक्षण इन्हीं जातियों के लिए रखा गया था।

भारतीय संविधान की धारा 342 (1) में प्रदत अधिकारों के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने संविधान अनुसूचित जनजाति अनुज्ञा 1950 जारी की जो दिनांक 6 सितम्बर 1950 से प्रभावी हुई। जिसमें राजस्थान की केवल भील जाति को ही जनजाति सूची में रखा गया था तथा पिछडी जाति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति संषोधन विधेयक, 1956 लोकसभा में पेष किया जिसमें अन्य जातियों के साथ–साथ राजस्थान की मीणा जनजाति का नाम भी संषोधित सूची में रखा गया। संसद ने इस विधेयक को यथावत् पास कर दिया जिसको भारत के राष्ट्रपति ने 25.09.1956 में स्वीकृति दे दी। इस प्रकार से राजस्थान की 12 प्रमुख जातियों और उनकी उपजातियों को जनजाति सूची में रखा गय हैं।

संविधान में इन कमजोर वर्गो के लिए जो प्रावधान किये गये है उनकों निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है।

1. अनुच्छेद 14,15,16,17,19,21,23 तथा 35 के माध्यम से असमानता, भेदभाव, अस्पृष्यता, सम्पत्ति व पेषे सम्बन्धी एकाधिकार, शोषण, बेगार व दलितों की धार्मिक निर्योग्यताओं का अन्तर कर दिया गया। साथ ही स्पष्ट तौर पर अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंष जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेघ किया गया है एवं खण्ड 4 में राज्यों को यह छूट दी गई है कि अनु. जाति और जनजाति को सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए उपबन्ध बना सकते है।
2. अनुच्छेद 15 (4) ,(16) (4) तथा 335 के प्रावधान के तहत केन्द्र व राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किये गये है।
3. अनुच्छेद 17, अस्पृष्यता को निषद्ध करता है किन्तु यह उपबन्ध करता है कि अस्पृष्यता का आरचरण विधि के अनुसार दण्डनीय अपनाध होगा। इस शक्ति का प्रयोग में संसद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया हैं।
4. अनुच्छेद 19(5) के अनुसार पूरे भारत देष में स्वतन्त्र भ्रमण एवं निवास पर तथा सम्पत्ति के अधिग्रहण और बेचने पर इन जनजातियों के हित में प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। राज्य उपबन्ध कर सकता है कि ये लोग अपनी सम्पति का अन्य संक्रमण निर्दिष्ट प्रषासनिक की सहमति से विषेष स्थिति में ही कर सकेंगे अथवा नहीं अर्थात् धोखा–बाजी अपनी निजी सम्पति के हस्तान्तरण को रोका जा सकेगा।
5. अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम प्रतिषेध आदि। इसके द्वारा मानव का दुर्व्यहार, बेगार और अन्य प्रकार के बलात श्रम प्रतिषिद्ध किये गये हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण उपबन्ध है क्योंकि अनुसूचित जनजातियॉ का शोषण करना बड़ा आसान है और उनके लागों को बंधुआ बनाया जा सकता हैं। वास्तव में देष की जनजातियों के सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा बंधुआ होने के कारण बहुत ही विषादमय जीवन बिता रहा है।
6. अनुच्छेद 26 में यह व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की किसी कारखाने या खाने में नौकर नहीं रखा जा सकेगा और न ही किसी अन्य संकटमय कार्य में उसे लगाया जा सकेगा।
7. अनुच्छेद 29 प्राकृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29(2) अनुच्छेद 15 की धारा 4 से नियंत्रित है। प्रथम संषोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में सम्मिलित इसने अनुच्छेद 15 और 29 को अनुच्छेद 16(4) 46 और 380 के अनुकूल बना दिया है। इस प्रकार राज्य द्वारा सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गो के लिए पदों का आरक्षण संविधान सम्मत हो गया है।

अनुच्छेद 29 के अनुसार भारतीय नागरिकों के किसी भी ऐसे अनुराग को जिसकी अपनी विषेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों को अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को बनाये रखने के लिए संरक्षण प्रदान करता है। राज्य द्वारा कानून बनाकर उन पर कोई संस्कृति या भाषा लादी नहीं जा सकती।

8. अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य को एक ऐसे व्यवस्था जिसमें सबको सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, न्याय सुनिष्चित होने के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए सभी प्रयास करना चाहिए।
9. अनुच्छेद 39 : में राज्य के लिए ऐसी नीतियों और अपनाने पर जोर दिया गया है जिनमे :

1. पुरूष व स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो।
2. समुदाय में भौतिक संसाधनों कोस्वामित्व एवं नियंत्रण का वितरण इस प्रकार हो कि सामान्य हितों की बेहतर पूर्ति सम्भव हो।
3. पुरूष व स्त्री दानों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो।

4. बालकों को स्वतन्त्र वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें प्रदान की जाये तथा बालक व अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से एवं नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।
10. अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत राज्य को निर्देष दिया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं व क्षमता के अनुरूप लागों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता तथा अन्य प्रकार की अषक्ता की अवस्था में काम तथा षिक्षा का अधिकार एवं सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करें।
11. अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गो के हितों की अभिवृद्धि के सम्बन्ध में राज्य को निर्देषित करता है कि व समाज के कमजोर तबकों विषेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के षिक्षा एवं आर्थिक हितों की विषेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा तथा ऐसे उपबन्धों को भेदभाव की दृष्टि से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
12. अनुच्छेद 164 के परन्तुक में यह उल्लेख है कि बिहार, मध्य प्रदेष और उड़ीसा राज्यों की जनजातियों के कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा जो अन्य जातियॉ और अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण का प्रभारी मंत्री भी हो सकता है। व्यवहार में ऐसे कल्याण विभाग न केवल इन तीन राज्यों मे वरन् अन्य राज्यों में भी बनाए गए है।
13. अनुच्छेद 275 और 339 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए की गयी व्यवस्थाएं मुख्यतः अनुच्छेद 275 और 339 के अन्तर्गत है। अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत संविधान के उपबन्धों की पूर्ति के लिए राज्यों को संघ से अनुदान मिलने की व्यवस्था हैं। अनुच्छेद 339 (2) की स्थापना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देष देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्देष की आवष्यक बतायी गयी स्कीमों के बनाने और उनके निष्पादन के बारे में है।
14. अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अन्तर्गत राजनीति आरक्षण के फलस्वरूप संसद व राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जनजाति व जाति प्रतिनिधियों के लिए स्थान आरक्षित किये गये। 1989 के अधिनियम के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति 79 और जनजाति के 41 क्रमषः राज्य विधायिकाओं में 557 और 327 स्थानों को आरक्षित किया गया है।
15. अनुच्छेद 335 में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की दावों को प्रषासनिक कुषलता को कायम रखते हुए क्रियान्वित किया जाएगा । आरक्षण ऐसे व्यक्तियों के लिए रखा गया था जो खुली प्रतियोगिताओं में उन स्थानों तक पहुॅचने में असमर्थ थे । यह बात राजनीति और शैक्षिक क्षेत्र में आरक्षण पर भी लागू होती है और जिसका उद्देष्य सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की दिशा निर्धारित करना है।
16. अनुच्छेद 338 : के अन्तर्गत 1950 से एक विषेष अधिकारी नियुक्त है जो कि कमिष्नर षिड्यूल कास्ट एण्ड ट्राइब्ज के नाम से जाना जाता है।
17. अनुच्छेद 339(1) 340 आयोग की नियुक्ति

राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रषासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति आदेष द्वारा किसी को भी कर सकेगा और संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा। केवल एक ऐसा आयोग 28 अप्रेल 1960 को नियुक्त किया गया था जिसका नाम ''अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग'' था। इस आयोग ने अक्टूबर 1961 में अपना योगदान प्रतिवेदन पेष किया था। इसके अध्यक्ष स्वीर्गीय श्री यू.एन.घेवर थे। इसलिए यह ''घेवर आयोग'' के नाम से प्रसिद्ध है।

18. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित हुआ, जिसमें अस्पृष्यता सम्बन्धी अपराधों के विरूद्ध दण्ड में वृद्धि की गई तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर अत्याचार के विरूद्ध अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया।
19. पैसठवां संविधान संषोधन (अधिनियम) 1990, संषोधित अनुच्छेद, 338, विषय राष्ट्रपति अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मार्च 1992 में गठित इस आयोग का काम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर होने वाले अत्याचारी की जॉच करना और उनके सुरक्षा उपायों पर नजर रखना माना जाता है। यह पहली ऐसी गैर–न्यायिक संस्था है जिसे दोवानी अदालत के अधिकार मिले हुए है। इन्हीं के चलते आयेग गवाहों को बुला सकने के अलावा सबूत तथा दस्तावेज मांग सकता है, अगर आयोग अपने निष्कर्ष और सुझाव ही दे सकता है। उनकी भूमिका न्यायपालिका वाली न होने से वह फैसले नहीं सुना सकता है।
20. पॉचवीं और छठी अनुसूचियां संवधिान के दसवें भाग में अनुच्छेद सात और 244 क के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रसासन से सम्बन्धित व्यवस्था है।

निष्कर्ष

संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का एक विषिष्ट अर्थबोध है। अनुसूचित क्षेत्रों का शासन पॉचवी अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार होता है। इसलिए इन क्षेत्रों को ''पांचवी अनुसूचित क्षेत्र भी कहा जाता हैं। जनजाति क्षत्रों का शासन छठी अनुसूचि के उपबन्धों के आधार पर होता है। पछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने की दृष्टि से नागरिक भेद–भाव की नीति, जो इन वर्गो के सम्बन्ध में समानता के सिद्वान्त से विलग होने की संवैधानिक संस्तुत करती है, के अन्तर्गत इन्हें प्राथमिकता दिया जावें, सम्बन्धी प्रावधानों को दो वर्गो में विभक्त किया जा सकता हैःएक की प्रकृति वितरणात्मक है जबकि दूसरे की सुरक्षात्मक वितरणात्मक उपायों के अन्तर्गत विधान मण्डलों, सामाजिक निकायों, शासनिकीय सेवाओं, उच्च व तकनीकी षिक्षण संस्थाओं में प्रवेष तथा भूमि एवं आवास आदि के आवंटन में आरक्षण, छात्रवृत्ति, अनुदान, ऋण

भूमि–वितरण तथा स्वास्थ्य सुविधा एवं विधिक सहायता आदि प्रावधान आते है।

षास्त्रीय विषेषाधिकारों एवं निर्योग्यताओं, जन्मगतव वर्गीकृत असमानताओं तथा सदियों की गुलामी आदि ऐसे तथ्य हैं जिनके चलते भारत में सामाजिक न्याय एवं दुर्लभ तथा दुसाध्य लक्ष्य समझा जाता रहा है किन्तु संवैधानिक प्रतिबद्धता एवं तत्सम्बन्धी प्रावधानों एवं प्रयासों से इसकी प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लक्ष्य अभी दूर अवष्य है किन्तु इस बात में सन्देह नहीं है कि एक न्यायपूर्ण समाज की ओर हम बढ़ रहे है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 *दोषी, एस.एल. एवं व्यास एन.एन. (1992) राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां हिमांशु प्रकाशन, नई दिल्ली।*
2 *बोस, एन.के (1971) ट्राईबल लाईफ इन इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।*
3 *Majumdar, D.N. (1963) An Introduction of Social Anthropology Asia Publishing House, Bombay.*
4 *बी.टी थामिलमारन – हुमन राइट्स इन थर्ड वर्ड पर्सपेक्टिव, पेज नं. 97*
5 *दिलीप जाखड़ – मानवाधिकार, 2004, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि जयपुर।*
6 *डी.आर.सक्सेना – लॉ, जस्टिस एण्ड सोषल चेन्ज, पेज नं. 432*
7 *डी.डी बसु – भारतीय संविधान : एक परिचय, 1994*
8 *एस.के.बोस – इण्डियन वूमेन थ्रो एजेज, पेज नं. 121*
9 *शोभा राजोरिया – महिला और कानून 2011, ब्लू स्टार इन्दौर (म.प्र)*
10 *सुभाष शर्मा – भारत मे मानवाधिार 2009, नेषनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली।*
11 *भारत की जनगणना 2011*
12 *योजना 2012 डॉ. विप्लव – भारत में महिला मानवाधिकार, 2012, राहुल पब्लिषिंग हाऊस, मेरठ (यू.पी)डॉ. विप्लव – भारत में महिला मानवाधिकार, 2012, राहुल पब्लिषिंग हाऊस, मेरठ*
13 *Bhawani Singh – Social Justice, Politics and Anomie, 2010, Gauttam Book Company, Rajapark, Jaipur.*